

Women assaulted in PS premises NHRC seeks ATR from Bhadrak SP

PNS BHUBANESWAR

L he National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action-taken report (ATR) from the Bhadrak Superintendent of Police on the issue of three police personnel of the Chandbali police station, who were seen beating and abusing a woman and her minor sister-in-law in a video that went viral.

The NHRC passed the order taking cognisance of a petition filed by advocate and human rights activist Radhakanta Tripathy. The petitioner alleged about the incident occurred on June 25, 2024, wherein a woman was ruthlessly assaulted by the police officials in the premises of the Chandabali PS in

Bhadrak. As per the complaint, the incident resulted when the woman kid was playing and a shoe cover fell in front of the police station. When the on-duty Constable Ravi Shetty asked the woman to pick up the same, she did not obey, following which Ravi slapped her.

Later, two other Constables joined and assaulted the woman with plastic pipes. The incident was captured in a mobile phone by some local residents and went viral in social media, Tripathy alleged.

The complainant has requested an independent and impartial investigation of the incident with legal action against the accused police officials, psychosocial counseling of the victim and adequate compensation to the women.



Delhi:सुप्रीम कोर्ट ने गैर-कार्यात्मक पैनलों पर जनहित याचिका बंद की

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/delhi-supreme-court-closes-pil-on-non-functionalpanels-3381764

NEW DELHI नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी, जिसमें दावा किया गया था कि जम्मू-कश्मीर में गैर-कार्यात्मक वैधानिक पैनल मौजूद हैं, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा यह बताए जाने के बाद कि ये अब कार्यात्मक हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे कुछ की शक्तियों का प्रयोग NHRC द्वारा किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने पहले पुणे स्थित वकील असीम सुहास सरोदे द्वारा दायर 2020 की जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और इस पर फैसला करने में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सहायता मांगी थी। यह आरोप लगाया गया था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे वैधानिक पैनल कार्यात्मक नहीं थे, जो तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करते थे। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि जम्मू-कश्मीर राज्य महिला आयोग, विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग सहित सात पैनल गैर-कार्यात्मक हैं।

मुख्य न्यायाधीश Chief Justice डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल की दलीलों पर गौर किया कि जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति में बदलाव के कारण वैधानिक पैनल काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ की शक्तियों का इस्तेमाल अब केंद्रीय पैनल द्वारा किया जा रहा है। विधि अधिकारी ने कहा कि सात में से तीन आयोगों की शक्तियों का इस्तेमाल केंद्रीय पैनल द्वारा किया जा रहा है और बाकी केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में जम्मू-कश्मीर के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के हलफनामे का भी हवाला दिया। इसके बाद पीठ ने कहा, "हम मामले को बंद कर देंगे।"

पीठ ने कहा, "यह दलील दी गई है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के साथ ही अब केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू कानून जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू हो गए हैं... इसके अलावा, केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि वह केंद्रीय आयोगों को राज्य आयोगों के रूप में काम करने का निर्देश दे सके।" इसने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए याचिका निष्फल हो गई है और आगे कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), **राष्ट्रीय मानवाधिकार** आयोग और भारत के विधि आयोग को पक्ष बनाया था। अगस्त 2019 में, केंद्र ने जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया और संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया, जो तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 5 अगस्त, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और उसी दिन पारित हो गया। अगले दिन लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी।



NHRC seeks ATR on assault of woman by three Odisha policemen

https://www.uniindia.com/news/east/rights-odisha-nhrc/3237741.html

Kendrapara (Odisha), July 10 (UNI)The National Human Rights Commission (NHRC) has sought for an Action Taken Report (ATR) from the Bhadrak Superintendent of Police, on gross abuse of power by three police personnel of Chandbali Police Station. The three policemen were seen dragging, beating and abusing a scheduled caste woman and her minor sister-in-law in a video, which went viral on social media. Considering the petition filed by Human Rights Activist Radhakanta Tripathy, the NHRC passed the order on Monday directing the BhadraK SP to submit a report within four weeks. The petitioner alleged that on June 25, last a woman was ruthlessly assaulted by the police officials in the premises of Chandabali PS in Odiaha's Bhadrak District. As per the complaint, the incident resulted when the kid of the woman was playing with the shoe cover during which the shoe cover fell in front of the police station. Constable Ravi Shetty who was on duty asked the woman to pick up the same. When the woman refused to obey the order, she was slapped by the accused Constable Ravi. Later two more constables joined and they started abusing and assaulting the woman and the incident went viral in social media. The woman, Tripathy alleged, was pulled by her legs and thrown to the ground by the policemen.

She was also assaulted with a plastic pipe. The complainant has requested NHRC for an independent and impartial investigation into the incident with legal action against the accused police officials, psychosocial counselling and adequate compensation to the victim women etc. The NHRC asked the Bhadrak SP to inquire the allegations by a senior police officer, not below the rank of an Additional SP, and ensure the needful action against the accused and to submit the action taken report to the Commission within four weeks. The NHRC has also marked a copy of the petition to the Odisha Director General of Police.



SC Closes PIL Alleging Non-Functional Statutory Panels Exist In J&K

https://statetimes.in/sc-closes-pil-alleging-non-functional-statutory-panels-exist-in-jk/

EW DELHI: The Supreme Court on Tuesday closed the proceedings on a PIL, which claimed non-functional statutory panels exist in Jammu and Kashmir, after being told by the Union Territory administration that these are now functional and the powers of some like the State Human Rights Commission are being exercised by the **NHRC**. The top court had earlier issued notices to the Centre on the 2020 PIL, filed by Punebased lawyer Asim Suhas Sarode, and sought the assistance of Solicitor General Tushar Mehta in deciding it.

It was alleged that statutory panels like the state human rights commission were not functional in the union territory after the abrogation of Article 370 which accorded special status to the erstwhile state.

The PIL alleged seven panels, including the Jammu and Kashmir State Commission for Women, the state commission for persons with disabilities and the consumer disputes redressal commission are non functional.

A bench comprising Chief Justice D Y Chandrachud and Justice JB Pardiwala on Tuesday took note of the submissions of the solicitor general that the statutory panels are functional and the powers of some of them are now being exercised by central panels owing to the change in the status of the erstwhile state of Jammu and Kashmir.

The law officer said the powers of three commissions out of the seven are being exercised by the central panels and the rest are functional in the union territory. He also referred to the affidavit of the law, justice and parliamentary affairs department of Jammu and Kashmir in support of his submissions. "We will close the case," the bench then said.

"It has been submitted that with the passing of the Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, now the laws applicable to UTs are made applicable to the union territory of Jammu and Kashmir...moreover, the central government is vested with the power to direct that the central commissions to function as state commissions," the bench said.

It disposed of the PIL, saying that in view of the present position, the plea has become infructuous and no further directions are required to be issued.

The petitioner had made the DoPT (Department of Personnel and Training), the National Human Rights Commission and the Law Commission of India parties to the PIL.

In August 2019, the Centre bifurcated Jammu and Kashmir into two Union territories and abrogated the provisions of Article 370 of the Constitution which accorded special status to the erstwhile state.

The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill was introduced in the Rajya Sabha on August 5, 2019 and passed the same day. The Lok Sabha cleared it the next day.



SC directs Centre to file reply on plea seeking directions to fill vacancies in NHRC

https://www.ptinews.com/story/national/sc-directs-centre-to-file-reply-on-pleaseeking-directions-to-fill-vacancies-in-nhrc/1644080

NEW DELHI: The Supreme Court directed the Centre on Tuesday to file a reply within two weeks on a plea seeking directions to fill vacancies in the National Human Rights Commission.

A bench comprising Chief Justice DY Chandrachud and Justice JB Pardiwala asked the Centre to inform it about the steps taken and the time needed to fill the vacancies in the National Human Rights Commission **(NHRC)**.

The petition has been posted for hearing on July 29.



Supreme Court ने गैर-कार्यात्मक वैधानिक पैनलों पर याचिका का निपटारा किया

https://jantaserishta.com/local/jammu-and-kashmir/supreme-court-disposes-of-pleaon-non-functional-statutory-panels-3382629

Jammu. जम्मू: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी, जिसमें दावा किया गया था कि जम्मू-कश्मीर में गैर-कार्यात्मक वैधानिक पैनल मौजूद हैं, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा यह बताए जाने के बाद कि ये अब कार्यात्मक हैं और राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे कुछ की शक्तियों का प्रयोग NHRC द्वारा किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने पहले पुणे स्थित वकील असीम सुहास सरोदे द्वारा दायर 2020 की जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था और इस पर फैसला करने में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सहायता मांगी थी।

यह आरोप लगाया गया था कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग जैसे वैधानिक पैनल कार्यात्मक नहीं थे, जिसने तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा दिया था। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि जम्मू-कश्मीर राज्य महिला आयोग, विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग सहित सात पैनल गैर-कार्यात्मक हैं।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल की दलीलों पर गौर किया कि वैधानिक पैनल काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ की शक्तियों का इस्तेमाल अब पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति में बदलाव के कारण केंद्रीय पैनल द्वारा किया जा रहा है। विधि अधिकारी ने कहा कि सात में से तीन आयोगों की शक्तियों का इस्तेमाल केंद्रीय पैनल द्वारा किया जा रहा है और बाकी केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में जम्मू-कश्मीर के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग के हलफनामे का भी हवाला दिया।

इसके बाद पीठ ने कहा, "हम मामले को बंद कर देंगे।" पीठ ने कहा, "यह दलील दी गई है कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के साथ ही अब केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू कानून जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू हो गए हैं...इसके अलावा, केंद्र सरकार के पास यह शक्ति है कि वह केंद्रीय आयोगों को राज्य आयोगों के रूप में काम करने का निर्देश दे सके।" इसने जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए याचिका निष्फल हो गई है और आगे कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारत के विधि आयोग को पक्ष बनाया था।अगस्त 2019 में, केंद्र ने जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया और संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया, जो तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 5 अगस्त, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और उसी दिन पारित हो गया। अगले दिन लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी।



Tamil Nadu : एनसीएससी ने के आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में डीजीपी और मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपने के लिए नोटिस भेजा

https://jantaserishta.com/local/tamil-nadu/tamil-nadu-ncsc-sends-notice-to-dgp-andchief-secretary-to-submit-report-in-k-armstrong-murder-case-3381715

चेन्नई CHENNAI : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग National Scheduled Caste Commission (एनसीएससी) ने के आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए नोटिस जारी किया है। एनसीएससी ने कहा है कि उन्होंने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसकी पुष्टि एनसीएससी चेन्नई कार्यालय के एक सूत्र ने की है।इससे पहले मंगलवार को भाजपा की राज्य इकाई के वरिष्ठ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने उपाध्यक्ष वीपी दुरैसामी के नेतृत्व में एनसीएससी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग **(एनएचआरसी)** के अध्यक्षों को ज्ञापन सौंपकर तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ 'बढ़ते अत्याचारों' के खिलाफ

नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अतीत की कुछ घटनाओं का जिक्र किया और आरोप लगाया कि डीएमके सरकार के सत्ता में आने के बाद तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं।भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक ट्वीट में कहा कि पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने एनसीएससी और एनएचआरसी को ज्ञापन सौंपकर उनसे "तमिलनाडु में डीएमके सरकार DMK Government के तहत अपंग हो चुके सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने" के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है।



Tamil Nadu News : एल मुरुगन ने पूछा, राहुल ने कल्लाकुरिची का दौरा नहीं किया?

https://jantaserishta.com/amp/local/tamil-nadu/tamil-nadu-news-l-murugan-askedrahul-did-not-visit-kallakurichi-3381974

तमिलनाडु Tamil Nadu: चेन्नई केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और Minister of State for Parliamentary Affairs L Murugan संसदीय मामलों के राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हाल ही में कल्लकुरिची में हुई त्रासदी के दृश्य से अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। इस घटना में अवैध शराब के सेवन से 65 लोगों की मौत हो गई थी। मुरुगन की टिप्पणी हाथरस में भगदड़ के बाद राहुल गांधी के दौरे के मद्देनजर आई है, जिसमें 121 लोगों की जान चली गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुरुगन ने तमिलनाडु में दलित समुदाय के खिलाफ हिंसा के पैटर्न पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के राज्य प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की हाल ही में हुई हत्या का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल और केरल की स्थितियों के साथ समानताएं बताईं। मुरुगन ने कहा, "पश्चिम बंगाल और केरल की तरह तमिलनाडु में भी दलितों का

<u>नरसंहार</u> किया जा रहा है।" उन्होंने इन हिंसक कृत्यों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला और आर्मस्ट्रांग की हत्या की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का आह्वान किया।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल आर्मस्ट्रांग की हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग करने वाला है, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो सके। मुरुगन ने खुलासा किया कि प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** से मिलने की योजना बना रहा है ताकि एक व्यापक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया जा सके। यह प्रतिनिधित्व पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु में दलित समुदाय के खिलाफ हिंसक घटनाओं की श्रृंखला को कवर करेगा, जिसमें वेंगाइवयाल पेयजल संदूषण की घटना और आर्मस्ट्रांग की हत्या शामिल है।



West Bengal Suit, Alleging Centre s Misuse of CBI, is Maintainable: Supreme Court

https://www.moneylife.in/article/west-bengal-suit-alleging-centres-misuse-of-cbi-ismaintainable-supreme-court/74618.html

The Supreme Court on Wednesday held as maintainable the West Bengal government's suit alleging misuse of the Central Bureau of Investigation (CBI) by the Central government (State of West Bengal v. Union of India).

A Bench of Justices BR Gavai and Sandeep Mehta said the State's plaint disclosed a cause of action and rejected the Union government's contention that was a material suppression of facts.

"The contention of the Union is rejected. The suit by West Bengal shall proceed in accordance with law. We observe that these findings will have no bearing when the suit is decided on its own merits," the Court said.

It cannot be said that the West Bengal government has not made out any case against the defendants (including the Central government and the CBI), the Court observed further.

It added that West Bengal's suit raised a legal issue as to whether after general consent is revoked by a State, the CBI could register and investigate cases in violation of Section 6 of the Delhi Special Police Establishment (DSPE) Act.

The Court will hear the suit on August 13 for framing of issues.

The original suit filed by the Trinamool Congress (TMC)-led West Bengal government against the Central government alleges that the CBI is being misused to target State governments.

The TMC government contended that since the State had withdrawn general consent for the CBI to investigate cases in the State, the central agency could no longer proceed with probes in West Bengal.

If the CBI is allowed to enter a State for investigation, the Enforcement Directorate (ED) generally follows suit and the same has huge implications for Indian polity, the West Bengal government argued.

The Central government had countered that the West Bengal government could not sue the Centre over cases being probed by the CBI as the central agency was independent.

The Central government asserted that the suit by the West Bengal government was liable to be dismissed as not maintainable since there was no cause of action disclosed in the plaint against the Central government.

The Centre added that the CBI cannot be made a party to such suits as per Article 131 of the Constitution (original jurisdiction of the Supreme Court with respect to Centre-State disputes).

Senior Advocate Kapil Sibal appeared for the West Bengal government, and Solicitor General (SG) Tushar Mehta represented the Union government.

The Court had reserved its verdict on the maintainability of the suit in May this year.

The case has its origins in the results of the State Legislative Assembly elections held in West Bengal in May 2021.

After the elections, many persons who had to flee their houses due to the violence approached the Calcutta High Court claiming that they were not being allowed to return home by the workers of the ruling TMC.

On May 31, the Calcutta High Court ordered the formation of a three-member committee to ensure that persons displaced by post-poll violence in the State are able to return to their houses.

Thereafter, the High Court proceeded to call for intervention by the National Human Rights Commission (NHRC). Subsequently, the then NHRC Chairperson Justice Arun Mishra constituted a seven-member committee to inquire into complaints regarding post-poll violence.

The committee submitted a report accusing the TMC of turning affairs in the State into the "law of ruler", instead of a "rule of law", and called for a CBI probe in the matter.

The State government strongly contested the **NHRC** report, questioning the impartiality of the human rights body. It proceeded to file an original suit against the Central government in the matter, wherein it also questioned the High Court's decision to order a CBI probe.



West Singhbhum Anjuman Demand : अंजुमन का जेबी वी एनएल से 2017 के अग्निपी ड़ितों को न्या य दिला ने की पहल का आग्रह, ऐसा न हो ने पर मा नवा धिकार आयो ग व सी एम से शिकायत करने की दी चेता वनी

https://sharpbharat.com/information/west-singhbhum-anjuman-demand-2/434897/

रा मगो पा ल जेना /चक्रधरपुर : अंजुमन इस्ला मि या चकधरपुर के सचि व बैरम खा न ने झा रखंड बि जली वि तरण नि गम लि मि टेड के उप महा प्रबंधक को पत्र लि खा है. पत्र में चक्रधरपुर गुदड़ी बा जा र के डेली मा केंट में वर्ष 2017 में हुई अगलगी के मा मले में का र्रवा ई करने की मां ग की है. ऐसा नहीं हो ने पर, अंजुमन ने मा नवा धि का र आयो ग एवं झा रखंड के सी एम हेमंत सो रेन तक शि का यत पहुंचा ने की चेता वनी भी दी है. बता ते चलें कि वर्ष 2017 में डेली मा केंट में हुई अगलगी की घटना में करी ब 54 दुका नदार आर्थि क रूप से प्रभा वि त हुए थे. झा रखंड सरका र के ऊर्जा वि भा ग ने इस संदर्भ में जे बी एन एल को पत्र लि खा , कि न्तु वि भा ग द्वारा उस पर को ई संज्ञा न नहीं लि या गया . इसके बा द अंजुमन की ओर से **रा ष्ट्री य मा नवा धि का र आयो ग**, दि ल्ली पर शि का यत की गई जि स पर आयो ग ने संज्ञा न लि या और उपा युक्त पश्चि मी सिं हभूम को का र्रवा ई करने का आदेश दि या उपा युक्त का र्या लय ने सचि व ऊर्जा वि भा ग को पत्रचा र करके संज्ञा न लेने को कहा । ऊर्जा वि भा ग ने इस वि षय पर जेबी एनएल को का र्रवा ई करने को कहा है. सचि व बैरम खा न ने कहा कि जेबी एनएल से लगा ता र पत्रचा र हो रहा है, लेकि न उनके तरफ से सहयो ग नही मि ल रहा है. उन्हों नेन्हों नेकहा कि वि भा ग को यह अन्ति म पत्र लि खा गया है. संतो षजनक पहल नहीं हो ने पर मा नवा धि का र आयो ग एवं मुख्यमंत्री से भी शि का यत की जा एगी , ता कि 7 सा लों से न्या य की आस में बैठे पी डि़ त दुका नदारों को रा हत मि ल सके



केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाला पश्चिम बंगाल का मुकदमा विचारणीय: सुप्रीम कोर्ट

https://hindi.barandbench.com/news/litigation/west-bengal-suit-alleging-centresmisuse-of-cbi-is-maintainable-supreme-court

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका यह निष्कर्ष कि यह वाद स्वीकार्य है, वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार के उस मुकदमे को सुनवाई योग्य माना जिसमें केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था [पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ]

न्यायमूर्ति **बीआर गवई** और न्यायमूर्ति **संदीप मेहता** की पीठ ने कहा कि राज्य की शिकायत में कार्रवाई के लिए कारण का खुलासा किया गया है और केंद्र सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि तथ्यों को छिपाया गया है।

न्यायालय ने कहा, "केंद्र की दलील खारिज की जाती है। पश्चिम बंगाल द्वारा दायर मुकदमा कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। हम मानते हैं कि जब मुकदमे का फैसला उसके गुण-दोष के आधार पर होगा, तो इन निष्कर्षों का कोई असर नहीं होगा।"

न्यायालय ने आगे कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिवादियों (केंद्र सरकार और सीबीआई सहित) के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया है।

इसमें यह भी कहा गया कि पश्चिम बंगाल के मुकदमे ने एक कानूनी मुद्दा उठाया है कि क्या राज्य द्वारा सामान्य सहमति रद्द किए जाने के बाद, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम की धारा 6 के उल्लंघन में मामले दर्ज कर सकती है और जांच कर सकती है।

न्यायालय मुद्दों को तय करने के लिए 13 अगस्त को मुकदमे की सुनवाई करेगा।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मूल मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकारों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है।

टीएमसी सरकार ने तर्क दिया कि चूंकि राज्य ने सीबीआई को राज्य में मामलों की जांच करने के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी अब पश्चिम बंगाल में जांच नहीं कर सकती।

पश्चिम बंगाल सरकार ने तर्क दिया कि अगर सीबीआई को जांच के लिए किसी राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आम तौर पर उसी तरह काम करता है और इसका भारतीय राजनीति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।

केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामलों को लेकर केंद्र पर मुकदमा नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी स्वतंत्र है।

केंद्र सरकार ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर मुकदमा खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमे में कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है। केंद्र ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 131 (केंद्र-राज्य विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र) के अनुसार सीबीआई को ऐसे मुकदमों में पक्ष नहीं बनाया जा सकता।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए, और सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

इस साल मई में न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस मामले की शुरुआत मई 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजों से हुई है।

चुनावों के बाद, हिंसा के कारण अपने घरों से भागने वाले कई लोगों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि उन्हें सत्तारूढ़ टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा घर लौटने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

31 मई को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा से विस्थापित लोगों को उनके घरों में वापस लौटने में सक्षम बनाने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया।

इसके बाद, उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। इसके बाद, तत्कालीन **एनएचआरसी** अध्यक्ष न्यायमूर्ति **अरुण मिश्रा** ने चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया।

समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें टीएमसी पर राज्य के मामलों को "कानून के शासन" के बजाय "शासक के कानून" में बदलने का आरोप लगाया गया और मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई।

राज्य सरकार ने मानवाधिकार निकाय की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए एनएचआरसी की रिपोर्ट का कड़ा विरोध किया। इसने मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ एक मूल मुकदमा दायर किया, जिसमें उसने सीबीआई जांच का आदेश देने के उच्च न्यायालय के फैसले पर भी सवाल उठाया।



जम्मू-कश्मीर NHRC के अंतर्गत आएगा; वहां सभी अन्य वैधानिक आयोग बहाल किए गए: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

https://hindi.livelaw.in/supreme-court/jk-will-come-under-nhrc-all-other-statutorycommissions-restored-there-union-tells-supreme-court-262850

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मानवाधिकार आयोग के अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख में 6 प्रमुख वैधानिक आयोग नियुक्त किए गए। अब चूंकि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अधिकार क्षेत्र में आएगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वैधानिक पैनल फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर के लोगों को मानवाधिकार मुद्दों के बारे में जम्मू-कश्मीर से ही NHRC में अपनी शिकायतें दर्ज कराने की अनुमति देने वाली एक प्रणाली लाने पर विचार करे।

केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को एचआरसी को छोड़कर अधिकांश वैधानिक पैनलों को बहाल करने की जानकारी दी।

कहा गया,

"मानवाधिकार आयोग (HRC) को छोड़कर अन्य सभी आयोग नियुक्त किए जाते हैं। UT में HRC के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए NHRC को शक्ति दी गई। यदि यह प्रदान किया जा सकता है तो मुझे सरकार से परामर्श करना चाहिए।"

इस पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि उसके अंत में कोई और निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।



जींद में नागरिक अस्पताल के नहीं सुधर रहे हालात: चिकित्सक के पद 55, काम कर रहे 19, फील्ड से बुलाकर चला रहे काम

https://www.haribhoomi.com/state-local/haryana/news/condition-civil-hospital-jindnot-improving-55-doctor-posts-but-only-19-working-run-calling-doctors-field-35494

हरियाणा के जींद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नागरिक अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। अस्पताल प्रशासन को अभी तक नोटिस नहीं मिला है, लेकिन अस्पताल प्रशासन बेहतर सेवा देने का दावा कर रहा है।

Jind: **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** द्वारा जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। हालांकि अस्पताल प्रशासन को अभी तक नोटिस नहीं मिला है, बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन जितना है उससे भी बेहतर देने के दावे कर रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि समय-समय पर उच्च अधिकारियों को स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी, स्पेशलिस्ट, साजोसामान के बारे में अवगत करवाया जाता है। बावजूद इसके जितने भी चिकित्सक अस्पताल को उपलब्ध हैं, उनसे व्यवस्था बनाने का काम किया जाता है।

निर्माण से लेकर अब तक नहीं हुई चिकित्सकों की कमी पूरी

जिला मुख्यालय पर 1975 में नागरिक अस्पताल की शुरूआत हुई थी। उस समय से लेकर आज तक जिले में चिकित्सकों की कमी कभी भी दूर नहीं हुई। जींद अस्पताल की बात की जाए तो यहां 55 चिकित्सकों की आवश्यकता है लेकिन इस समय केवल 19 मेडिकल ऑफिसर (एमओ) काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक पीएमओ, पांच एसएमओ लेवल के अधिकारी कार्यरत हैं। दो आरबीएसके के तहत चिकित्सक व अन्य फील्ड में कार्यरत हैं, जिन्हें समय-समय पर रोटेशन के हिसाब से नागरिक अस्पताल में बुला कर ओपीडी करवाई जाती है।

200 बैड का अस्पताल, स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी

जिला मुख्यालय पर 200 बैड का अस्पताल बना हुआ है। वहीं, सफीदों, नरवाना तथा उचाना सब डिविजन पर 100-100 बैड के अस्पताल हैं। उधर, जुलाना, पिल्लूखेडा, अलेवा, उझाना समेत आठ स्थानों पर सीएचसी बनाई गई है। वहीं जिले में 26 पीएचसी बनाई गई हैं और 185 हैल्थ सैंटर बनाए गए है। जिन पर लोगों को नजदीक स्वास्थय सेवा उपलब्ध करवाने का जिम्मा है। स्पेशलिस्ट चिकित्सकों व अन्य की कमी को लेकर स्वत: अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना चिकित्सकों के मरीजों को कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।

15 साल से रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली

नागरिक अस्पताल में पिछले 15 साल से किसी भी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हुई है। बिना रेडियोलॉजिस्ट के कारण जिले के लोगों को निजी अस्पतालों में महंगी फीस पर अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ रहे हैं। वहीं आई सर्जन डॉ. गितांशु, डॉ. पूनम कैजुअल्टी व डॉ. सीमा वशिष्ठ जा चुके हैं। वहीं लैब में भी 14 पद स्वीकृत हैं जबकि केवल सात तकनीशियन ही काम कर रहे हैं।

कभी वीआईपी ड्यूटी तो कभी कैंप बढ़ा देते हैं परेशानी

चिकित्सकों की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होना लाजमी है। इसके अलावा कभी वीआईपी ड्यूटी तो कहीं कोई स्वास्थ्य कैंप तो कभी दिव्यांग कैंप के लिए चिकित्सकों को जाना पड़ता है। जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानी होती है। मरीजों व उनके तिमारदारों को पता ही नहीं चल पाता कि अस्पताल में उनके उपचार से संबंधित चिकित्सक है या नहीं।

हर दिन हजारों की संख्या में होती है ओपीडी

नागरिक अस्पताल में ओपीडी की बात की जाए तो प्रतिदिन 1600 तक की ओपीडी होती है। सोमवार व मंगलवार को ओपीडी की संख्या 1800 से दो हजार तक पहुंच जाती है। ऐसे में सुबह होते ही चिकित्सकों के कमरे के आगे मरीजों की लाइन लग जाती है। रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज के लिए दूर-दूर के गांवों से सिविल अस्पताल पहुंचते हैं लेकिन डॉक्टरों की कमी से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

चिकित्सकों की कमी के बावजूद बेहतरीन सुविधाएं दे रहे : डॉ. गोपाल

सिविल सर्जन डॉ. गोपाल ने बताया कि विशेषज्ञों व चिकित्सकों की कमी के बावजूद जितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से चिकित्सकों द्वारा अस्पताल में उपचार की बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाता है। स्वास्थ्य निदेशालय से समय-समय पर चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों की मांग की जाती है।